

10 ⁰⁹/₂₅

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपास्थित।

मूल वाद खारिज हो चुका है जिससे उक्त
T.I. प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहने
से उक्त T.I. प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
पत्रावली पौसल शुमार हैकर नम्बर से कम है।



3
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली